20

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

खेलो इंडिया स्कीम के प्रदर्शन की समीक्षा

(प्राक्कलन समिति के 8वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) मे अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही)

प्राक्कलन समिति
(2022-23)

बीसवां प्रतिवेदन

(सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

बीसवाँ प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

खेलो इंडिया स्कीम के प्रदर्शन की समीक्षा

(प्राक्कलन समिति के 8वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) मे अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही)

(**20** दिसंबर, 2022 **को** लोकसभा में प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

_____दिसंबर, **2022/** ____अग्रहायण, **1944(**शक**)**

विषय सूची **पृष्ठ**

प्राक्कलन समिति (2022-23) की संरचना (ii)
प्राक्कथन (iv)

भाग एक

अध्याय एक	**प्रस्तावना**	**1**
अध्याय दो	**टिप्पणियां / सिफारिशें, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है**	**7**
अध्याय तीन	**टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती**	**25**
अध्याय चार	**टिप्पणियां / सिफारिशें, जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं**	**27**
अध्याय पांच	**टिप्पणियां/सिफारिशें,जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं**	**29**
	परिशिष्ठ	
I	**दिनांक 14.12.2022 को आयोजित समिति की बैठक का कार्यवृत्त**	**30**
II	**प्राक्कलन समिति (17वीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन मे निहित टिप्पणिओं/सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के विश्लेषण**	**32**

प्राक्कलन समिति की संरचना (2022-2023)

श्री गिरीश भालचंद्र बापट - सभापति

2. कुँवर दानिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी.पी. चौधरी,
6. श्री निहाल चंद चौहान
7. श्री हरीश द्विवेदी
8 श्री पर्वतगौड़ा चंदनगौड़ा गद्दीगौदर
9. डॉ. संजय जायसवाल
10. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
11. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
12. श्री पिनाकी मिश्रा
13. श्री के. मुरलीधरन
14. श्री जुआल ओराम
15. श्री कमलेश पासवान
16. डॉ. के.सी. पटेल
17. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
18. श्री विनायक भाऊराव राउत
19. श्री अशोक कुमार रावत
20. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
21. श्री राजीव प्रताप रूडी
22. श्री दिलीप शइकीया
23. श्री फ्रांसिस्को कॉसमे सरदिन्हा
24. श्री जुगल किशोर शर्मा
25. श्री प्रताप सिम्हा
26. श्री परवेश साहिब सिंह
27. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
28. श्री केसिनेनी श्रीनिवास (नानी)
29. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
30. श्री श्याम सिंह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	अपर सचिव
2.	श्री मुरलीधरन. पी	-	निदेशक
3.	श्री आर.सी. शर्मा	-	अपर निदेशक
4।	श्री श्रिकांत सिंह आर	-	उप समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, प्राक्कलन समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित ''खेलो इंडिया योजना के कार्यनिष्पादन की समीक्षा'' विषयक समिति (2020-21) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. प्राक्कलन समिति (2020-21) का आठवां प्रतिवेदन 9 फरवरी, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए 30 जुलाई, 2021 को अपने उत्तर भेजे। समिति ने 14 दिसम्बर, 2022 को प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया।

3. प्राक्कलन समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;
14 दिसम्बर, 2022
23 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरीश भालचन्द्र बापट,
सभापति,
प्राक्कलन समिति

अध्याय-एक

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित "योजना खेलो इंडिया के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" विषय के संबंध में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है।

2. आठवां प्रतिवेदन दिनांक 9-2-2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में 18 टिप्पणियां/सिफारिशें शामिल थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से प्राप्त हो गए है।

3. प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तरों को व्यापक रूप से निम्नवत् श्रेणीबद्ध किया गया है:-

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है- :

सिफारिश पैरा संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18

कुल -15

(अध्याय-दो)

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती-:

सिफारिश पैरा संख्या 3 **कुल -01**

(अध्याय-तीन)

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं

सिफारिश संख्या 7 और 9

कुल -02

अध्याय-चार

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं-:

सिफारिश संख्या शून्य **कुल -00**

(अध्याय-पाँच)

4. समिति की यह इच्छा है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण शीघ्रातिशीघ्र समिति को भेज दिए जाएं।

5. अब समिति टिप्पणियों/सिफारिशों पर विचार करेगी जिन्हे दोहराए जाने अथवा जिन पर और टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

बजट आबंटन

(सिफारिश पैरा संख्या 7 और 9)

6. अपने मूल प्रतिवेदन में समिति ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ब.अ. और सं.अ. में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह 350 करोड़ रुपये रहा और व्यय 346.99 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2018-19 में ब.अ. 520.09 करोड़ रुपये है जो सं.अ. यानी 500.09 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 में भी पिछले दो वित्तीय वर्षों की तुलना में व्यय में काफी वृद्धि हुई है लेकिन यह अब भी ब.अ. के आसपास ही है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के सं.अ. से कम है। इस प्रकार, ऐसा लगता है कि खेल विभाग वास्तव में ब.अ. में वृद्धि नहीं चाहता था। ब.अ. एक वर्ष में 350 करोड़ रु. से बढ़कर 520.09 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन खर्च 346.99 करोड़ रुपये से घटकर 342.24 करोड़ रुपये रह गया। वर्ष 2019-20 के लिए ब.अ. को पिछले वर्ष से कम कर दिया गया है और इसे 500.00 करोड़ रुपये रखा गया है, हालांकि सं.अ. 578.00 करोड़ रु. है। अन्य क्षेत्रों पर खर्च किए गए धन की तुलना में खेलों पर खर्च किया गया धन नगण्य है। बजटीय आवंटन को देखते हुए खेल, सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं लगता। खेल विभाग के सचिव ने विभाग के लिए बजट बढ़ाने की जोरदार दलील दी। इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। वृद्धि की सीमा का निर्णय विशेष रूप से कोविड -19 के बाद के परिदृश्य में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जा सकता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि खेल विभाग इस योजना के लिए वार्षिक बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाए।

7. अपने मूल प्रतिवेदन में समिति ने नोट किया कि सरकार ने खेल क्षेत्र को एक नई गति देने का प्रयास किया है और 'खेलो इंडिया योजना' भारत में खेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़

हो सकती है। हालांकि, समिति ने यह भी नोट किया कि पिछले कुछ वर्षों में साई के बजट में कमी की गई है और पिछले कुछ वर्षों में साई के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2016-17 में इसे कम कर दिया गया। उस समय साई को 438.20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो वर्ष 2017-18 में मामूली वृद्धि के साथ 495.73 करोड़ रुपये हो गया था। तथापि, वर्ष 2018-19 में आवंटन को घटाकर 395.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और वर्ष 2019-20 के लिए यह आवंटन 450.00 करोड़ रुपए है। समिति, साई को आबंटनों की ऐसी असंगत प्रवृत्ति और विभिन्न वर्षों में आवंटन की ऐसी प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों के कारणों को समझने में असमर्थ है और समिति यह समझने में भी असमर्थ है कि साई, बड़ी भूमिका की मांग करने और आवंटन में वृद्धि के लिए संबंधित प्राधिकारियों को क्यों नहीं मना सका। इसलिए समिति ने यह सिफारिश की है कि साई के बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करके भारत के खेल क्षेत्र में हितधारक के रूप में साई की भूमिका पर बल देकर इस क्षेत्र में उसके योगदान को स्वीकारा जाए। समिति का यह भी सुविचारित मत था कि विशेष रूप से कोविड-19 के बाद की स्थिति को देखते हुए खेल विभाग को वार्षिक बजट में पर्याप्त वृद्धि के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर डालना होगा। समिति ने यह सिफारिश भी की है कि साई को वित्तीय शक्तियों के प्राधिकार के साथ वरिष्ठ स्तरों पर योग्य संविदात्मक कर्मचारियों को चुनना चाहिए। साई, भारत सरकार के विनियमों के तहत एक सोसाइटी है और इसलिए इसे खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहिए।

8. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई संबंधी उत्तरों में निम्नवत् बताया:-

"प्रचालन में विभिन्न स्कीमों के लिए धन आवंटित करना भारत सरकार का कार्य है। समिति की टिप्पणियों को विधिवत नोट किया जाता है।"

"अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।"

9. यद्यपि मंत्रालय ने बजटीय आवंटन में वृद्धि के संबंध में इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ लगातार उठाया था, लेकिन समिति द्वारा यह देखा गया था कि इसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट में कमी की गई थी। इसलिए, समिति ने यह महसूस किया कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, विशेष रूप से भारतीय खेल प्राधिकरण और खेलो इंडिया के वार्षिक बजट को बढ़ाये जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि खेल संस्कृति/खेलों में बड़े पैमाने पर भागीदारी बनाम खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए खेलों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को

मजबूत किया जा सके। मंत्रालय ने केवल इस टिप्पणी के साथ टिप्पणी को नोट किया है कि प्रचालन में विभिन्न योजनाओं के लिए निधियां आवंटित करना भारत सरकार का मामला है। समिति को यह असंतोषजनक लगता है क्योंकि यह टिप्पणी केवल 'खेलो इंडिया' के बारे में नहीं थी, बल्कि विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए थी, जो भारत सरकार की स्थायी संस्थाएं हैं। इसलिए समिति की यह इच्छा है कि मंत्रालय वित्त मंत्रालय द्वारा बजटीय आवंटन में कमी के कारणों का विश्लेषण करे और अपनी मांग को उचित ठहराने वाले उपयुक्त आंकड़ों के साथ बजटीय आवंटन में और वृद्धि के लिए इस दिशा में सभी प्रयास करे। हाल ही में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बेहतर बजट का सकारात्मक प्रभाव इस मांग के लिए औचित्य हो सकता है। समिति की यह इच्छा हैं कि उसे की गई कार्रवाई के चरण में वित्त मंत्रालय के विचारों के पूर्ण विवरण के साथ नवीनतम प्रगति से अवगत कराया जाए।

(सिफारिश पैरा संख्या 17)

10. खेलों इंडिया योजना के सामुदायिक कोचिंग विकास कार्यक्षेत्र को शुरू करके खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए समिति ने अपने संबंधित स्थानों पर ऐसे सामुदायिक कोचों द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की थी।

समिति ने यह नोट किया है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों)पीईटी (को मास्टर ट्रेनर के रूप में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाता है। इस योजना के तहत कोचों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोचों की कोचिंग का सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि 'गुरु' के बिना किसी प्रकार की शिक्षा नहीं हो सकती है। अत:, समिति ने यह पुरजोर सिफारिश की है कि अभीष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कोचों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें दीर्घकालिक और निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए और आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी प्रशिक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड)एनएसईबी (की स्थापना के संबंध में समयसीमा का ईमानदारी से पालन किया जाए, ताकि स्टैंडर्ड कोचों हेतु एनएसईबी द्वारा अनुमानित पाठ्यक्रम को उचित महत्व मिल सके।

11. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अपने की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पण में समिति को निम्नवत् बताया:-

शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्देश्य भारत भर के उन शिक्षा प्रशासकों, स्कूल नेताओं, विषय शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक और खेल कोचों को तैयार करना हैजो सही ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के साथ सरकारी और निजी स्कूलों में संचालन कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी हैं। यह क्षमता निर्माण कार्यक्रम मुख्य रूप से स्कूल और समुदाय में संरचित शारीरिक कार्यकलापों, शारीरिक शिक्षा खेल कोचिंग और फिटनेस कार्यकलापों के संचालन के लिए उनकी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित था। शिक्षकों को प्रशासनिक, प्रबंधन और नियामक कौशल/जागरूकता सहित प्रायोगिक शिक्षा, खेल और शारीरिक कार्यकलाप एकीकृत दृष्टिकोण आदि के माध्यम से लैटेस अध्यापन के साथ-साथ अपने विषयों में नवीनतम नवाचारों को सीखने के लिए निरंतर अवसर दिए जाते हैं। कार्यक्रम की योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाई गई है, जिसका उद्देश्य अकादमिक और पाठ्येतर दोनों क्षेत्रों में छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देकर प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचाननाऔर मजबूत करना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लाइव ऑनलाइन/ऑन ग्राउंड/हाइब्रिड प्रशिक्षण के रूप में है। स्वयं सीखने के लिए सामग्री ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति के साथ भागीदारी के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्धारित अंकों के आधार पर योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन भारतीय खेल प्राधिकरण- लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज (साई-एलएनसीपीई), तिरुवनंतपुरम को सौंपा गया है और अब तक 28 सत्रों के साथ 14 दिनों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के छह बैच आयोजित किए जा चुके हैं। प्रत्येक बैच के संचालन के दौरान 17 भारतीय और 13 देशों के 16 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इसके अलावा, एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए संबंधित हितधारकों के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें बजट घोषणा अर्थात खेलो इंडिया स्कीम के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेलों की स्थापना शिक्षा बोर्ड के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों का निर्णय लेने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हितधारकों से फीडबैक लेने के लिए बातचीत शामिल होगी। समिति के विचार-विमर्श पूरा हो चुकेहैं और विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष

से अंतिम रिपोर्ट प्राप्तहोनी है। समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आलोक में राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

12. समिति ने यह नोट किया कि 'खेलो इंडिया' योजना के तहत कोचों और खिलाड़ियों के लिए पाठ्यचर्या मानक के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए संबंधित हितधारकों के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति को यह भी जानकारी है कि विशेषज्ञ समिति के विचार-विमर्श पूरे हो चुके हैं और अंतिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त, समिति इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर एक विस्तृत विवरण (सिफारिश-वार) के रूप में विशेषज्ञ समिति के अंतिम प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के बारे में अवगत होना चाहती हैं।

अध्याय दो

टिप्पणियां / सिफारिशें, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 1)

2019-20 से आगे भी चले खेलो इंडिया योजना का सिलसिला

समिति का मानना है कि खेलो इंडिया योजना को अपने वर्तमान स्वरूप में तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था और इस योजना की समीक्षा की जा रही है। समिति यह नोट करती है कि इस योजना का वर्तमान में थर्ड पार्टी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कार्य किया जा रहा है और उनके द्वारा मार्च 2020 तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का यह मत है कि इस योजना का मूल्यांकन पूरा हो जाना चाहिए था और मंत्रालय को कमियों को दूर करने के मद्देनजर आवश्यक संशोधन, यदि कोई हो, कर लेने चाहिए थे। खेलो इंडिया योजना के एक समेकित योजना होने के कारण इससे देश में खेल संस्कृति के विकास को एक नया दृष्टिकोण और उत्साह मिलता है जिसे जारी रखे जाने की जरूरत है।

सरकार का उत्तर

खेलो इंडिया योजना का मूल्यांकन किया गया था और मूल्यांकन की आवश्यक सिफारिशों को प्रस्तावित संशोधित खेलो इंडिया योजना (2021-22 से 2025-26) में शामिल किया गया था जिसे व्यय वित्त समिति (ईएफसी), व्यय विभाग,वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। संशोधित खेलो इंडिया स्कीम (केआईएस) के अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 2)

खेल पारिस्थितिकी तंत्र

पारिस्थितिकी तंत्र के मद्देनज़र यह देखा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों (सीडब्ल्यूजी) 2010 के संदर्भ में पिको दीपाली ओवरले कंसोर्टियम बनाम पूर्ववर्ती ओसी सीडब्ल्यूजी 2010 के मामले में एक मध्यस्थता

अवार्ड के आंशिक कार्यान्वयन में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में 125.00 करोड़ रुपये जमा किए जाने की अपेक्षा की गई थी। मंत्रालय में इस मामले की समीक्षा की गई और वर्ष 2018-19 के खेलो इंडिया आवंटन से 125.00 करोड़ रुपये की बचत सामने आई। इस अधिशेष धन का उपयोग करने और शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए सिरे से निधियां प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय के अनुसार, खेलो इंडिया योजना से निधियों का विपथन नहीं किया गया था, लेकिन यहां निधियां अधिशेष थीं जिनका खेलो इंडिया में उपयोग नहीं किया जा सका था। इसलिए 125.00 करोड़ रुपये तक की अधिदेश निधियों का उपयोग कहीं और किया गया; अन्यथा ये निधियां उपयोग शेष होने के कारण समाप्त हो जाती।

हालांकि, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पुनर्विनियोजन से साई केंद्रों को खेलो इंडिया केन्द्रों में परिवर्तित करने पर प्रभाव पड़ा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि 2018-19 के दौरान खेलो इंडिया के तहत 80 केंद्रों में से केवल 18 केंद्र ही शुरू किए जा सके हैं। यह एक घटना स्पष्ट रूप से खेल पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में तीव्रता से जागरूक होने और भविष्य में होने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है जिसमें इसे नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। समिति ने मंत्रालय से भविष्य में ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है।

सरकार का उत्तर

यह सूचित किया जाता है कि तीन सदस्य मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन हेतु मैसर्स पिको दीपाली ओवरले कंसोर्टियम बनाम क्यूसी सीडब्ल्यूजी 2010 के मामले में मैसर्स पिको दीपाली ओवरले कंसोर्टियम को भुगतान करने के लिए खेलो इंडिया स्कीम से कॉमनवेल्थ गेम्स हेड के लिए 125 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। इस मंत्रालय द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई थीजिसे खारिज कर दिया गया । खेलो इंडिया स्कीम के 'स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर' घटक के तहत, देश के सभी जिलों में 04 साल की अवधि में 1000 खेलो इंडिया सेंटर (केआईसी) स्थापित करने का प्रस्ताव है, 360 केआईसी को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 4)

समिति ने यह नोट किया है कि निवेश एक विशेष खेल में परिणाम लाता है और परिणाम, बदले में, और अधिक निवेश लाते हैं। इसलिए यह एक तरह का चक्र है। हालांकि, प्रारंभिक निवेश करने का पहला कदम सरकार के पास है। भारत में खेल क्षेत्र अपेक्षाकृत अनन्वेषित है और भारत को अभी इस क्षेत्र में अपनी क्षमता का एहसास नहीं है। इसलिए किए गए निवेश से प्रतिपादक परिणाम मिलेंगे। इसलिए समिति इस बात की सिफारिश करती है कि योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार विभिन्न खेलों में अनुरूप रूप से पर्याप्त निवेश करे और यदि आवश्यक हो तो निजी क्षेत्र को भी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल संबंधी अवसंरचना और खिलाड़ियों के लिए निवेश करने की अनुमति दें।

सरकार का उत्तर

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान प्राप्त करता है। सीएसआर योगदानकर्ता, कभी-कभी, एनएसडीएफ के उन क्षेत्रों/ कार्यकलापों को भी इंगित करते हैं जिनके लिए सीएसआर योगदान का उपयोग किया जाना है। इनमें टीओपीएस में चयनित खेल अवसंरचना और खिलाड़ियों पर खर्च शामिल है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 27.02.2014अधिसूचना के अनुसार सीएसआर के लिए निम्नलिखित मद शामिल है:
"ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण।

इसके अलावा, वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 2016 में जारी निर्देशों/ स्पष्टीकरणों के अनुसार, निम्नलिखित आइटम सीएसआर के तहत पात्र हैं:-

1. खेल अवसंरचना का निर्माण और रखरखाव;
2. मौजूदा खेल सुविधाओं का उन्नयन और नवीनीकरण; तथा
3. व्यायामशाला और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना सहित खेल विज्ञान सहायता।

इसके अलावा, सिफारिशों को अनुपालन के लिए भी नोट किया जाता है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 5)

एंटी डोपिंग सख्त शासन

समिति ने यह नोट किया है कि एंटी डोपिंग तंत्र अच्छी तरह से स्थापित है। हालांकि, एक मेधावी एथलीट के एंटी डोपिंग परीक्षण में असफल होने का एक भी मामला न केवल उसके लिए बल्कि देश के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। समिति का यह मत है कि यदि एथलीट इस संबंध में वाडा और नाडा के नियमों से अनजान है तो यह तथ्य से आगे और बढ़ जाती है। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक जगह सुरक्षित करने के लिए, खिलाड़ियों के बीच एंटी डोपिंग परीक्षण के नियमों और खिलाड़ियों के साथ जुड़े आहार विशेषज्ञों के बारे में भी यथासंभव जागरूकता फैलाना अपेक्षित है। इसलिए समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि मौजूदा तंत्र की कड़ाई से समीक्षा की जाए और एक अचूक कड़े तंत्र की समय-समय पर समीक्षा की जाए ताकि अधिकतम जागरूकता सुनिश्चित की जा सके और इसके परिणामस्वरूप एंटी डोपिंग परीक्षण में असफल होने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।

सरकार का उत्तर

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) देश में खेलों में डोपिंग के मुद्दे पर शिक्षा/जागरूकता सत्र आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से डोपिंग रोधी जानकारी का प्रसार करना, खिलाड़ियों, कोचों और एथलीट सपोर्ट कर्मियों (एएसपी) को शिक्षित करना शामिल है। ये जागरूकता सत्र प्रतिभागियों के लिए शिक्षण सत्र/सेमिनार/कार्यशालाओं/वेबिनार के माध्यम से खिलाड़ियों और एथलीट समर्थन कर्मियों के बीच डोपिंग रोधी जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

नाडा मौजूदा शिक्षणकार्यनीति की समीक्षा कर रहा है और स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों सहित खिलाड़ियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सख्त और यथार्थवादी योजना तैयार कर रहा है। कुछ प्रमुख कदमों और प्रक्रियाओं में शामिल हैं, शिक्षा पूल की पहचान करना, मूल्य शिक्षा प्रदान करना, खेल हितधारकों और एनएसएफ को उनकी भूमिका/जिम्मेदारियों और आवश्यक सहयोग के लिए संवेदनशील बनानाऔर खिलाड़ियों तथा सहायक कार्मिकों के बीच खेल निष्पक्ष अवधारणा को बढ़ावा देने और समर्थन के लिए उपलब्ध संसाधनों/विशेषज्ञता का लाभ उठाने के अवसरों की खोज करना।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 6)

बजट आवंटन

समिति ने यह नोट किया है कि वर्ष 2008-09 से 2013-14 (अनुबंध-एक) के दौरान पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक पंचायत को एक समान अनुदान दिया गया था। हालांकि, पीवाईकेकेए के उद्देश्यों के संतोषजनक परिणाम नहीं मिले हैं। समिति की राय है कि हर गांव और ब्लॉक की जरूरत अलग-अलग है और पूरे देश में एक जैसी नहीं हो सकती। क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुसार आवंटन किया जाना चाहिए। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि सरकार ने 'खेलो इंडिया योजना' की स्थापना करके देश में खेल संस्कृति विकसित करने की पहल की है। खेल क्षेत्र के वित्तीय पहलू में भी 'वन साइज फिट्स ऑल' मंत्र नहीं है। समिति यह सराहना करती है कि मंत्रालय ने वर्तमान योजना के तहत समग्र अवलोकन किया है।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय समिति द्वारा की गई सराहना का आभार व्यक्त करता है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 8)

पीछे रह गए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना और राज्य के कार्य निष्पादन निगरानी तंत्र - प्रोत्साहन और हतोत्साहन की प्रणाली

समिति ने नोट किया कि खेलो इंडिया योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु राज्यों की ओर से धनराशि का कोई अंशदान नहीं दिया जाता है। समिति का मानना है कि इस योजना में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि राज्य केआईएस के अंतिम उपयोगकर्ता हैं और इसलिए चुनिंदा मामलों में केन्द्रीय मंत्रालय के अनुमोदन से राज्यों को योगदान करने/अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल करने का विकल्प होना चाहिए। इससे खासतौर पर ढांचागत परियोजनाओं को शुरू करने और पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके अलावा, विलंब और लागत में वृद्धि के उपयुक्त मामलों में, कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात संबंधित राज्य पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

समिति को यह भी जानकारी है कि 'खेल' विषय को सातवीं अनुसूची के तहत 'राज्य सूची' में सूचीबद्ध किया गया है। समिति ने ध्यान दिया कि समस्या उपयोगिता प्रमाण- पत्र (यूसी) (उपरोक्त पैरा 3.3) के संदर्भ में आती है। 70 प्रतिशत धनराशि के उपयोग और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है। खेल विभाग ने कहा कि "राज्य, एजेंसियों की नियुक्ति नहीं करते हैं और एजेंसियां (उचित समय के भीतर) काम शुरू नहीं करती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालांकि, केंद्र सरकार/विभाग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं कर सकता, विशेषकर तब, जब इसे केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इनकी निगरानी करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। समिति सिफारिश करती है कि केंद्र सरकार ऐसे राज्यों के मामले में कड़े कदम उठाए जो उसके द्वारा वित्तपोषित योजनाओं को पूरा करने में पीछे हैं। खेल विभाग को प्रभावशीलता लाने के लिए अपनी निगरानी इकाई को नया रूप देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य यथाशीघ्र यूसी भेजें। इससे परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित होगा।

सरकार का उत्तर

खेलो इंडिया स्कीम के तहत साई के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है। केआईएससीईके तहत, साईउक्त उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा चिन्हित केंद्रों का व्यवहार्यता अध्ययन करता है। व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर कोचों, सहायक कर्मचारियों और उपकरणों के लिए धन दिया जाता है। इसके अलावा, पहचाने गए केंद्रों को परिचालन और एकमुश्त पूंजीगत व्यय के लिए खेलो इंडिया केंद्रों के रूप में स्थापित करने के लिए भी सहायता दी जाती है। जहां तक विश्व स्तरीय कोचों को लाने का संबंध है, साई ने सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कोचों को प्रतिनियुक्ति पर साई में लाने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। साई में अनुबंध पर कोचों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियुक्ति के प्रस्ताव 6 सप्ताह में जारी होने की संभावना है।

इसके अलावा, संबंधित राज्य के क्षेत्रीय एसएआई केंद्र और परियोजना के संबंधित अनुदानकर्ता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रावधान है। इसके अलावा, सचिव (खेल) / राज्य के संयुक्त सचिव / विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार / डीन की अध्यक्षता में और भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि सहित परियोजना की प्रगति को देखने के लिए एक निगरानी समिति भी गठित की गई है। इसके अलावा, संबंधित अनुदानग्राही से लगातार प्रगति रिपोर्ट का भी अनुरोध किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा

सके कि खेल विभाग, एमवाईएएस द्वारा परियोजना की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसके अलावा, शेष राशि जारी करने की मंजूरी तभी दी जाती है जब पिछली स्वीकृत राशि के सभी यूसी निगरानी समिति की रिपोर्ट, परियोजना प्रगति रिपोर्ट और परियोजना की तस्वीरों के साथ प्राप्त हो जाते हैं।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 10)

खेलो इंडिया योजना की वित्तपोषण पद्धति

समिति ने नोट किया कि कार्यक्षेत्र के आनुपातिक महत्व के आधार पर धन आवंटन के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय किया गया है। हालांकि, समिति की सिफारिश है कि इस वित्तपोषण को किसी वित्तीय कठोरता से सीमित नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी अप्रयुक्त निधि को एक शीर्ष से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए उचित स्वतंत्रता होनी चाहिए। समिति चाहती है कि भारत में खेल क्षेत्र के प्रति अंतर्निहित दृष्टिकोण को एक नया आयाम दिया जाए। कई योजनाओं के लिए धन एक बाधा हो सकती है लेकिन विवेक और प्रभावकारिता धन की कमी के असर को कम कर सकती है। यह जरूरी नहीं कि केवल धन की मात्रा का प्रश्न हो, बल्कि धन के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता भी होती है। इस संबंध में साई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समिति का दृढ़ मत है कि खेलों के आंतरिक बजट और योजना तंत्र की व्यापक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि वर्ष के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आने वाले आवंटनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

समिति ने यह भी नोट किया कि कुछ शीर्षों के संबंध में वित्तपोषण व्यवस्थाएं कुछ निकायों पर निर्भर की गई हैं जो मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उदाहरण के लिए 'उपयोग और खेल अवसंरचना के सृजन/उन्नयन' शीर्ष के मामले में वित्तपोषण को यूजीसी की अनुपूरक सहायता से लागू करने का प्रस्ताव है। समिति इस बात पर जोर देना चाहेगी कि ऐसे सभी मामलों में पहले से ही सर्वसम्मति बनाई जानी चाहिए और ऐसे हितधारकों से पहले से परामर्श किया जाना चाहिए जो मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में नहीं हैं। समिति चाहती है उसे इस संबंध में अवगत कराया जाए।

सरकार का उत्तर

मंत्रालय के भीतर खेलो इंडिया योजना के तहत एकमुश्त बजट आवंटित किया जाता है और उसके बाद इसे योजना के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में आवंटित किया जाता है। योजना में पर्याप्त लचीलापन है, जिसमें विभिन्न घटकों में आवंटन की आवश्यकता-आधारित पुनर्विनियोग शामिल है। सामान्य परिषद (जीसी) के पास देश में खेलों के विकास के हित में योजना के एक घटक से दूसरे में निधियों का पुनर्विनियोजन करने और योजना के खंड (खंडों) में आवश्यक परिवर्तन/छूट करने की शक्ति होगी। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी अनुपयोगी निधि को एक कार्यक्षेत्र से दूसरे में अंतरित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विभाग के विभिन्न हितधारकों के परामर्श से किसी अनुपयोगी निधि का एक कार्यक्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरण आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 11)

निविदा वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार

समिति यह नोट करती है कि परियोजनाओं को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों या पात्र संस्थाओं के पक्ष में स्वीकृत किया जाता है और ठेकेदार के चयन में मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होती है। परियोजनाओं को सीपीडब्ल्यूडी/राज्य लोक निर्माण विभाग या केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है; और ठेकेदारों का चयन उन्हीं के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संप्रभु और जिम्मेदार संस्थाएं हैं और इसलिए विभाग स्थापित और निर्धारित प्रक्रियाओं के बाद परियोजनाओं के उचित निष्पादन के लिए उन पर निर्भर करता है। यह एक तरह से, गुणवत्ता नियंत्रण भी सुनिश्चित करता है। ज़ाहिर है, मंत्रालय की भी अपनी सीमाएं हैं लेकिन चूंकि वित्तपोषण केवल मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय राज्यों को किसी परियोजना के सभी चरणों में तकनीकी विशेषज्ञ रखने के लिए सुझाव जारी करे। इससे परियोजना व्यवहार्य, विश्व स्तरीय और अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के समकक्ष होगी। मंत्रालय को एजेंसी को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए कार्यकारी एजेंसियों को अपने पैनल पर विशेषज्ञ रखने की सलाह देनी चाहिए। एल1 के अलावा, निविदा शर्त को केवल ऐसे आवेदकों तक ही सीमित करना चाहिए जिनकी साख प्रमाणित है।

समिति की इच्छा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण को खेल विकास, खेल अवसंरचना, खेल उपकरण, खेल संबंधी पोषण, खेल विज्ञान से जुड़े सभी क्षेत्रों के लिए उच्च स्तर के योग्य विशेषज्ञों को पैनलबद्ध करे। भारतीय खेल प्राधिकरण को खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए केवल पीएसयू पर निर्भर नहीं होना चाहिए बल्कि विशेषज्ञ खेल अवसंरचना विकास कंपनियों और खेल अवसंरचना संबंधी वास्तुकारों को पैनलबद्ध करना चाहिए। भारतीय खेल प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले सभी खेल अवसंरचना संबंधी निर्माण कार्यों के लिए इन सूचीबद्ध कंपनियों और विशेषज्ञों हेतु निविदा को खोल देना चाहिए।

सरकार का उत्तर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र सरकारी संस्थाओं को अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे गुणवत्ता डिजाइन, कार्य को उचित रूप से प्रदान करना और परियोजना का निष्पादन सुनिश्चित करें। यह मंत्रालय संबंधित अनुदान प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त इन विवरणों की जांच करके यह सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, अवसंरचना कार्य की नियमित निगरानी और उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले जूनियर सलाहकारों को लगाया जा रहा है। साई ने अनुबंध पर 175 खेल विज्ञान विशेषज्ञों को काम पर रखा है। योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए पेशेवरों को भी संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है। साई ने खेल अवसंरचना के निर्माण के दौरान पीएसयू को डीपीआर तैयार करने/डिजाइनिंग आदि में सहायता करने के लिए विशेष खेल अवसंरचना सलाहकारों को भी सूचीबद्ध किया है। हालांकि, जहां तक परियोजनाओं को सीधे क्रियान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को पैनलबद्ध करने का संबंध है, इसे जीएफआर प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 12)

खेलो इंडिया योजना के तहत अवसंरचना संबंधी निर्माण में एमवाईएएस और भारतीय खेल प्राधिकरण की भूमिका में वृद्धि

खेल अवसंरचना संबंधी निर्माण/ उन्नयन सबसे महत्वपूर्ण शीर्ष है क्योंकि इस योजना के तहत बजट आवंटन का लगभग दो तिहाई हिस्सा खेल संबंधी अवसंरचना के लिए स्वीकृत किया गया है। समिति का

यह सुविचारित मत है कि खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण राज्यों को प्रेरित करे और उनका नेतृत्व भी करे। केवल धन उपलब्ध कराने और राज्यों के अनुरोधों का इंतजार करने के बजाय, खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण को अपेक्षित खेल संबंधी अवसंरचना स्थापित करने के लिए स्वत: योजना बनानी चाहिए और विशेषज्ञता उपलब्ध करानी चाहिए। इससे देश भर में खेल संबंधी अवसंरचना का विकास हो सकेगा जो खिलाड़ियों और कोचों के लिए निरपवाद रूप से महत्वपूर्ण होगा।

खेल विभाग और भारतीय खेल प्राधिकरण को मार्गदर्शक और गाइड की भूमिका में होना चाहिए न कि केवल एक सुविधा प्रदाता के रूप में। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षित विशेषज्ञता वाले सक्षम व्यक्तियों को सभी प्रयोजनों के लिए राज्यों को उपलब्ध कराया जाए, चाहे वह खेल संबंधी अवसंरचना की स्थापना हो या किसी एथलीट को प्रशिक्षित करना हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खेल वास्तुकारों या खेल वास्तुकला में विशेषज्ञता प्राप्त कंपनियों को खेल संबंधी अवसंरचना की स्थापना हेतु पैनलबद्ध किया जाए।

भारतीय खेल प्राधिकरण को भारत में सभी खेल संस्थानों/संकायों हेतु सर्वोत्तम सलाहकार की भूमिका में होना चाहिए ताकि कम से कम एशियाई महाद्वीप में खेल क्षेत्र में एक मशाल बनने का प्रयास किया जा सके। सरकार के कामकाज का एक निश्चित तरीका है और इस क्षेत्र के समग्र विकास और वृद्धि के लिए एक अलग परिप्रेक्ष्य लाने हेतु विशेष रूप से सरकार से परे खेल क्षेत्र में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यह विशेषज्ञ सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करके देश भर के खेल अकादमी और खेल संस्थानों को भी अपना संरक्षण प्रदान कर सकता है। अत्याधुनिक अवसंरचना और विश्व स्तरीय कोच प्रदान करना, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके माध्यम से भारतीय खेल प्राधिकरण इसे पूरा करने में सक्षम हो सकेगा।

सरकार का उत्तर

खेल 'राज्य' का विषय है और खेल अवसंरचना के निर्माण/ विकास सहित खेलोंके विकास कामुख्य उत्तरदायित्व राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकार का है। खेलो इंडिया एक मांग संचालित स्कीम है और प्रस्तावों पर परियोजना के प्रस्तावकों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) के आधार पर मूल्यांकन मानकों और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के

तहत संस्वीकृत अवसंरचना के संबंध में, डीपीआर और अन्य आवश्यक मानकों को तैयार करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश स्कीम और इसके कार्यात्मक दिशानिर्देशों में दिए गए हैं।

इसके अलावा, साई ने विभिन्न साई केंद्रों पर डीपीआर और खेल अवसंरचना के डिजाइन तैयार करने के लिए खेल वास्तुकारों को सूचीबद्ध किया है। साई की ओर से अवसंरचना परियोजनाओं को पूराकरने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को डीपीआर और डिजाइन तैयार करने के लिए खेल वास्तु कंपनियों को शामिल करना होगा। जहां तक विश्व स्तरीय कोचों को लाने का संबंध है, साई ने सर्वोत्तम उपलब्ध कोचों को साई में प्रतिनियुक्ति पर लाने के लिए विज्ञापन निकाले हैं। साई में निविदा पर कोचों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियुक्ति का प्रस्ताव 6 सप्ताह के समय में जारी होने की संभावना है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 13)

निविदा प्रक्रिया और परियोजना मंजूरी में तेजी

समिति यह नोट करती है कि आठ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत कोई भी परियोजना प्रदान नहीं की गई है जिसके विभिन्न कारण हैं यथा- आधे-अधूरे प्रस्तावों का प्राप्त होना, प्रस्तावों का जांच प्रक्रिया में होना, अथवा राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त न होना। बिहार, गोवा और मेघालय जैसे तीन राज्य और पाँच संघ राज्य क्षेत्रों को खेलो इंडिया योजना के तहत कोई परियोजना प्रदान नहीं की गई है। किन्हीं राज्यों के लिए विशेषकर छोटे राज्यों के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता और समन्वय कठिन है जो कि खेलो इंडिया योजना के तहत परियोजना प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण को संयुक्त प्रयासों से ऐसे राज्यों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण राज्यों के अनुरोध के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए और उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन करे। सभी चरणों में हितधारकों के बीच गहन परामर्श के साथ परियोजना की मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

सरकार का उत्तर

खेलो इंडिया स्कीम के तहत अवसंरचना परियोजनाओं को राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों से उन प्रस्तावों की प्राप्ति के परिणामस्वरूप संस्वीकृत किया जाता है, जिन पर इस मंत्रालय में विभिन्न हितधारकों के परामर्श कर निर्धारित मानदंडों और धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है। खेलो इंडिया स्कीम के राज्य स्तरीय खेलो इंडिया सेंटर के तहत, वर्तमान में 23 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र हैं जहां-01 खेलो इंडिया राज्य खेल उत्कृष्टता केंद्र को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, 07 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है। व्यवहार्यता अंतर मूल्यांकन और परियोजना निष्पादन चरण के संचालन के लिए सभी चरणों में राज्य के खेल विभागों से इनपुट लिया जा रहा है। जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्रों के लिए, देश भर के 26 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के 267 जिलों में 360 केआईसी को अधिसूचित किया गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद आगे की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा, समिति को सूचित किया जाता है कि सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में केआईएससीई या केआईसी को अधिसूचित करने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को हैंडहोल्डिंग और अन्य आवश्यक समर्थन दिया जा रहाहै ।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 14)

चिन्हित प्रतिभाओं को और प्रोत्साहन प्रदान करना

समिति यह नोट करती है कि खेलो इंडिया योजना के 'प्रतिभा खोज और विकास' शीर्ष के तहत प्रतिभाशाली एथलीटों (खेलो इंडिया ऐथलीट्स) की संख्या में राज्य-वार असमानताएं हैं। बिहार जैसे बड़े राज्य में केवल 9 खेलो इंडिया ऐथलीट्स (केआईए) और हरियाणा और महाराष्ट्र में क्रमशः 392 और 363 खेलो इंडिया ऐथलीट्स हैं। ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी इस मानदंड को लेकर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और इनके पास क्रमशः 52,76, 81,88 और 171 खेलो इंडिया ऐथलीट्स हैं। समिति का मानना है कि देश में उपलब्ध क्षमता का पर्याप्त दोहन नहीं हो रहा है। समय की मांग है कि उनकी पहचान की जाए, पर्याप्त सहयोग प्रदान किया जाए और उनकी प्रतिभा को पोषित किया जाए। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रयास करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि खेलो इंडिया ऐथलीट्स भारत के सभी क्षेत्रों से हों।

सरकार का उत्तर

खेलो इंडिया स्कीम के प्रतिभा खोज और विकास घटक के तहत, प्रतिभा की पहचान विभिन्न तरीकों से की जाती है, जैसे खेलो इंडिया गेम्स, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिपआदि। इसके अलावा, प्रतिभा की पहचान करने के लिए देश को 05 क्षेत्रों अर्थात् उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संभावित और सिद्ध एथलीटों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए ग्रासरूट जोनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में खेलो इंडिया के 20 खेल विधाओं (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है) में प्रतिभा की पहचान की जानी है, जिसमें देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता / बढ़त है।

उत्तरक्षेत्र	**पूर्वक्षेत्र**	**पश्चिमक्षेत्र**	**दक्षिणक्षेत्र**	**उत्तरपूर्व**
जम्मूऔरकश्मीर, लद्दाख, हिमाचलप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश	एऔरएनद्वीपसमूह, पश्चिमबंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड	गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादराऔरनगरहवेलीऔरदमनऔरदीव	आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप	अरुणाचलप्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा

अब तक, 21 खेल विधाओं (पैरा स्पोर्ट्स सहित) में 2967 एथलीटों को विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ओपन सिलेक्शन ट्रायल और केआईएसजी और केआईवाईजी से मूल्यांकन शिविरों से अंतिम रूप से चुने जाने के बाद अधिसूचित किया गया है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 15)

समिति खेल विभाग के उस विजन की सराहना करती है जिसमें वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदकों की संभावना को अधिकतम करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में खिलाड़ियों का आधार तैयार करना चाहते हैं। हालांकि, यह एक बहुत बड़ा कार्य है। खेल प्रतिभा की पहचान जो कि खेलो इंडिया योजना की एक घटक योजना है अच्छी प्रगति के साथ काम कर रही है। 20 खेलों और पैरा खेल विधाओं में अच्छी संख्या में प्रतिभाशाली एथलीटों (केआईए) की पहचान की गई है। इन खेलो इंडिया ऐथलीट्स को मान्यता प्राप्त 'खेलो इंडिया अकादमियों' में प्रशिक्षित किया जाएगा। खेलो इंडिया योजना के इस शीर्ष के तहत प्रतिभा की पहचान की अपार संभावनाएं हैं और हर स्तर पर और आने वाली पीढ़ियों के लिए एथलीटों की एक श्रृंखला बनाने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए।

चयनित एथलीटों को इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त अकादमियों में शामिल होने का विकल्प प्राप्त करने और उन्हें कोचिंग, उपकरण, प्रतिस्पर्धा एक्सपोजर, आहार शुल्क, आउट ऑफ पॉकेट भत्ता आदि के रूप में 8 वर्ष की अवधि के लिए एक दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत उनकी प्रगति/प्रदर्शन के अनुरूप सहायता प्रदान करने की योजना बेहद सराहनीय है और समिति इस बारे में भारतीय खेल क्षेत्र में एथलीटों के पूल में और भी बड़ी संख्या के शामिल होने की उम्मीद करती है।

सरकार का उत्तर

खेलो इंडिया योजना के प्रतिभा खोज और विकास घटक के तहत, प्रति एथलीट प्रति वर्ष 628400 / - रुपये उन्हें कोचिंग, उपकरण, प्रतियोगिता प्रदर्शन, आहार शुल्क, आउट ऑफ पॉकेट भत्ता के रूप में सहायता प्रदान करने के रूप में दीर्घावधिएथलीट विकास कार्यक्रम के तहत 8 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाता है।

विभिन्न टूर्नामेंटों/प्रतियोगिताओं में की गई प्रतिभा पहचान के आधार पर प्रतिवर्ष प्रतिभाओं की संख्या में वृद्धि की जा रही है। पहचानी गई प्रतिभाओं को उनकी पसंद की अकादमी में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 16)

राष्ट्रीय खेल संघ(एनएसएफ)की कार्य पद्धति में पारदर्शिता लाना

खेल एक राज्य विषय होने के नाते, खेल के विकास और संवर्धन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की है। खेल विभाग सहायता के जरिए राष्ट्रीय खेल संघों के प्रयासों की रही-सही कमी पूरी करने के प्रयास करता है। खेलो इंडिया योजना के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने में राष्ट्रीय खेल संघ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समिति का मानना है कि एनएसएफ की व्यापक भूमिका बड़ी निष्ठा के साथ निभाई जाए और इस संबंध में मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के बीच समन्वय सर्वोपरि होता है। राष्ट्रीय खेल संघ नीति के प्रत्येक चरण में शामिल होते हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय खेल संघ की वित्तीय अथवा प्रशासनिक आवश्यकताओं को अत्यधिक महत्व दिया जाए और आवधिक तौर पर उनके कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाए।

सरकार का उत्तर

विभाग राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक खेल विधा के लिए एकमात्र परिसंघ को मान्यता देता है। स्वायत्त निकाय होने के नाते, एनएसएफ उस खेल विधाजिसके लिए उन्हें संबंधित अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है के समग्र प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण, विनियमन, प्रचार, विकास और प्रायोजन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह होते हैं।

दिसंबर 2009 से, वार्षिक मान्यता की एक नई प्रणाली अधिसूचित की गई थी जिसके तहत एनएसएफ को मान्यता प्राप्त करने के लिए विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और यह मान्यतावार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित खाते का ब्यौरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन, सरकारी अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र जैसे निर्धारित दस्तावेज जमा करने के बाद के वर्षों में स्वत: नवीकृत हो जाएगी ।

वर्ष 2010 में, सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों के संबंध में आयु और कार्यकाल की सीमा निर्धारण दिशा-निर्देश जारी किए थे, इन्हें भारत के राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 में शामिल किया गया है, जिसे 31.01.2011 से लागू किया गया।

सरकार ने एनएसएफ को अपने ऑडिट किए गए खातों, बैलेंस शीट, एथलीटों के लिए चयन मानदंड आदि से संबंधित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से घोषित करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। 1 करोड़ रु. या उससे अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले एनएसएफ को प्राप्त होता है। आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय खेल परिसंघों के लिए संहिता में निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें डोपिंग रोधी कोड, आयु धोखाधड़ी की रोकथाम, राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए नागरिकता मानदंड, यौन उत्पीड़न की रोकथाम आदि शामिल हैं। मंत्रालय के पास एनएसएफ के आंतरिक कामकाज में गंभीर अनियमितताओं का पता चलने की स्थिति में एनएसएफ की मान्यता को निलंबित करने या वापस लेने का अधिकार है ।

एनएसएफ को उन्हें जारी किए गए अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करना आवश्यक है। नएअनुदान तब तक नहीं जारी किए जाते है जब तक कि बकाया यूसी का निपटान नहीं किया जाता है। उन्हें सीएजी पैनल के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है। एक वर्ष में 1.00 करोड़ रु. या अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले एनएसएफ सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 17)

विश्व स्तरीय कोचों की ग्रुमिंग के लिए अवसंरचनात्मक विकास

योजना शीर्ष में कम्यूनिटी कोचिंग प्रत्यक्ष रूप से खेल संस्कृति का प्रचार-प्रसार करती प्रतीत होती है और यह मंत्रालय का एक नया कदम है। इसके बावजूद, कम्यूनिटी कोचों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर मंत्रालय को नजर रखने की आवश्यकता है।

समिति नोट करती है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (पीईटी) को मास्टर ट्रेनर के रूप में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाता है। इस योजना के तहत कोचों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि कोचों की कोचिंग का सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि 'गुरु' के बिना किसी प्रकार की शिक्षा नहीं हो सकती है। अत:, समिति यह पुरजोर

सिफारिश करती है कि अभीष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कोचों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए। उन्हें दीर्घकालिक और निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए और आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी प्रशिक्षण किया जाए।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड (एनएसईबी) की स्थापना के संबंध में समयसीमा का ईमानदारी से पालन किया जाए, ताकि स्टैंडर्ड कोचों हेतु एनएसईबी द्वारा अनुमानित पाठ्यक्रम को उचित महत्व मिल सके।

सरकार का उत्तर

शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्देश्य भारत भर के उन शिक्षा प्रशासकों, स्कूल नेताओं, विषय शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक और खेल कोचों को तैयार करना हैजो सही ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के साथ सरकारी और निजी स्कूलों में संचालन कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी हैं। यह क्षमता निर्माण कार्यक्रम मुख्य रूप से स्कूल और समुदाय में संरचित शारीरिक कार्यकलापों, शारीरिक शिक्षा खेल कोचिंग और फिटनेस कार्यकलापों के संचालन के लिए उनकी पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित था। शिक्षकों को प्रशासनिक, प्रबंधन और नियामक कौशल/जागरूकता सहित प्रायोगिक शिक्षा, खेल और शारीरिक कार्यकलाप एकीकृत दृष्टिकोण आदि के माध्यम से लैटेस अध्यापन के साथ-साथ अपने विषयों में नवीनतम नवाचारों को सीखने के लिए निरंतर अवसर दिए जाते हैं। कार्यक्रम की योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाई गई है, जिसका उद्देश्य अकादमिक और पाठ्येतर दोनों क्षेत्रों में छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देकर प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचाननाऔर मजबूत करना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लाइव ऑनलाइन/ऑन ग्राउंड/हाइब्रिड प्रशिक्षण के रूप में है। स्वयं सीखने के लिए सामग्री ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति के साथ भागीदारी के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया में निर्धारित अंकों के आधार पर योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन भारतीय खेल प्राधिकरण - लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज (साई-एलएनसीपीई), तिरुवनंतपुरम को सौंपा गया है और अब तक 28 सत्रों के साथ 14 दिनों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के छह बैच आयोजित किए जा चुके हैं। प्रत्येक बैच के संचालन के दौरान 17 भारतीय और 13 देशों के 16 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इसके अलावा, एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए संबंधित हितधारकों के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें बजट घोषणा अर्थात खेलो इंडिया स्कीम के तहत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेलों की स्थापना शिक्षा बोर्ड के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों का निर्णय लेने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हितधारकों से फीडबैक लेने के लिए बातचीत शामिल होगी। समिति के विचार-विमर्श पूरा हो चुकेहैं और विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष से अंतिम रिपोर्ट प्राप्तहोनी है। समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आलोक में राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 18)

कोविड-19 महामारी के पश्चात् खेलो इंडिया स्कीम

कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर के लगभग सभी संगठनों की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को काफी उलट दिया है। इस संदर्भ में समिति मंत्रालय के व्यावहारिक दृष्टिकोण और योजना के विचारशील कार्यान्वयन की सराहना करती है। प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग और परिस्थितियों के अनुरूप एक सुविचारित पुनर्गठित प्रतिमान के होने से मंत्रालय वांछित परिणाम प्राप्त करने में अपने प्रयासों को काफी हद तक बढ़ा पाएगा। अत:, समिति सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जाए कि वह बजटीय आवंटन करते समय इन सभी पहलुओं पर विचार करे।

सरकार का उत्तर

अनुपालन के लिए नोट किया गया ।

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 3)

समिति यह नोट करती है कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित और आकर्षित करने के लिए संघ सरकार खेल कोटे के नाम से मशहूर खिलाड़ियों को संघ सरकार की नौकरियों में पांच फीसद आरक्षण प्रदान कर रही है। खेल कोटे के तहत नौकरियों में आरक्षण का उचित प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। विभिन्न विभाग जो खेल कोटे के आवेदकों को व्यक्तिगत और अलग-थलग करते हुए भर्ती करते है की बजाए ऐसी सभी भर्तियों को केंद्रीकृत किया जाना चाहिए। भरी नहीं गई रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए और गैर खेल नौकरी आवेदकों द्वारा नहीं भरी जानी चाहिए ।

भले ही, राज्य सरकार के मामले में यह परामर्शी प्रकृति का कार्य है और यह अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकारें अपनी जरूरत के अनुसार नीतियां अपनाएं। समिति का यह मानना है कि जो राज्य अधिक खिलाड़ी दे रहे हैं उनके पास वित्तीय परिव्यय के अलावा खिलाड़ियों के लिए अच्छी खासी नौकरियां हो सकती हैं। संघ सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से इस पर विचार करे और यदि आवश्यक हो तो इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधायी हस्तक्षेप की मांग करे।

सरकार का उत्तर

"खेल कोटा" की नीति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा खेल विभाग सहित अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार/विनियमित की जाती है। सभी मंत्रालय/विभाग इसका पालन करते हैं।

"खेल कोटा" के तहत आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की तरह एक वर्टिकल आरक्षण नहीं है। यह होरिजोंटल आरक्षण है जैसे पूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों आदि के लिए आरक्षण। होरिजोंटल आरक्षण में वर्टिकल आरक्षण में कटौती करता है और खेल कोटा से चुने गए व्यक्तियों को उपयुक्त श्रेणी अर्थात एससी/ एसटी/ ओबीसी / सामान्य उम्मीदवार में रखा जाना चाहिए । इसलिए, खेल कोटे के तहत नहीं भरी गई रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए रोल ओवर करना संभव नहीं है।

"खेल" राज्य का विषय होने के कारण, खेल के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार इस संबंध में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों की पूर्ति करती है। 1988 से "खेल" को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के प्रयास किए गए हैं ताकि केंद्र सरकार को खेल के लिए एक मजबूत और व्यापक ढांचा प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि खेल को पूरे भारत में सामाजिक और आर्थिक गतिविधि के रूप में मुख्यधारा में लाया जा सके। हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की आवश्यक संख्या से सर्वसम्मति/समर्थन की कमी के कारण इसे कानून नहीं बनाया जा सका

अध्याय चार

टिप्पणियां / सिफारिशें, जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 7)

समिति ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ब.अ. और सं.अ. में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह 350 करोड़ रुपये रहा और व्यय 346.99 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2018-19 में ब.अ. 520.09 करोड़ रुपये है जो सं.अ. यानी 500.09 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 में भी पिछले दो वित्तीय वर्षों की तुलना में व्यय में काफी वृद्धि हुई है लेकिन यह अब भी ब.अ. के आसपास ही है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के सं.अ. से कम है। इस प्रकार, ऐसा लगता है कि खेल विभाग वास्तव में ब.अ. में वृद्धि नहीं चाहता था। ब.अ. एक वर्ष में 350 करोड़ रु. से बढ़कर 520.09 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन खर्च 346.99 करोड़ रुपये से घटकर 342.24 करोड़ रुपये रह गया। वर्ष 2019-20 के लिए ब.अ. को पिछले वर्ष से कम कर दिया गया है और इसे 500.00 करोड़ रुपये रखा गया है, हालांकि सं.अ. 578.00 करोड़ रु. है।

अन्य क्षेत्रों पर खर्च किए गए धन की तुलना में खेलों पर खर्च किया गया धन नगण्य है। बजटीय आवंटन को देखते हुए खेल, सरकार के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं लगता। खेल विभाग के सचिव ने विभाग के लिए बजट बढ़ाने की जोरदार दलील दी। इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। वृद्धि की सीमा का निर्णय विशेष रूप से कोविड -19 के बाद के परिदृश्य में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जा सकता है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि खेल विभाग इस योजना के लिए वार्षिक बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाए।

सरकार का उत्तर

प्रचालन में विभिन्न स्कीमों के लिए धन आवंटित करना भारत सरकार का कार्य है। समिति की टिप्पणियों को विधिवत नोट किया जाता है।

टिप्पणियां/सिफारिश (क्रम सं. 9)

समिति ने नोट किया है कि सरकार ने खेल क्षेत्र को एक नई गति देने का प्रयास किया है और 'खेलो इंडिया योजना' भारत में खेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। हालांकि, समिति ने यह भी नोट किया कि पिछले कुछ वर्षों में साई के बजट में कमी की गई है और पिछले कुछ वर्षों में साई के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 2016-17 में इसे कम कर दिया गया। उस समय साई को 438.20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो वर्ष 2017-18 में मामूली वृद्धि के साथ 495.73 करोड़ रुपये हो गया था। तथापि, वर्ष 2018-19 में आवंटन को घटाकर 395.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और वर्ष 2019-20 के लिए यह आवंटन 450.00 करोड़ रुपए है। समिति, साई को आबंटनों की ऐसी असंगत प्रवृत्ति और विभिन्न वर्षों में आवंटन की ऐसी प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों के कारणों को समझने में असमर्थ है और समिति यह समझने में भी असमर्थ है कि साई, बड़ी भूमिका की मांग करने और आवंटन में वृद्धि के लिए संबंधित प्राधिकारियों को क्यों नहीं मना सका। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि साई के बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि करके भारत के खेल क्षेत्र में हितधारक के रूप में साई की भूमिका पर बल देकर इस क्षेत्र में उसके योगदान को स्वीकारा जाए। समिति का यह भी सुविचारित मत है कि विशेष रूप से कोविड-19 के बाद की स्थिति को देखते हुए खेल विभाग को वार्षिक बजट में पर्याप्त वृद्धि के लिए वित्त मंत्रालय पर जोर डालना होगा। समिति यह सिफारिश भी करती है कि साई को वित्तीय शक्तियों के प्राधिकार के साथ वरिष्ठ स्तरों पर योग्य संविदात्मक कर्मचारियों को चुनना चाहिए। साई, भारत सरकार के विनियमों के तहत एक सोसाइटी है और इसलिए इसे खेल के क्षेत्र में अग्रणी बनना चाहिए।

सरकार का उत्तर

अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है ।

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें,जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
14 दिसंबर, 2022
23 अग्रहायण, 1944 (शक)

गिरिश भालचन्द्र बापट
सभापति
प्राक्कलन समिति

परिशिष्ट I

प्राक्कलन समिति (2022-23) की तेरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश

समिति ने बुधवार, 14 दिसंबर, 2022 को 1500 बजे से 1600 बजे तक कक्ष नंबर '52-B', प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में बैठक की।

उपस्थित

श्री निहाल चंद चौहान – संयोजक

2. कुँवर दनिश अली
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री सुदर्शन भगत
5. श्री पी. पी. चौधरी
6. डॉ. संजय जायसवाल
7. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंदरिया
8. श्री के. मुरलीधरन
9. श्री कमलेश पासवान
10. श्री अशोक कुमार रावत
11. श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी
12. श्री राजीव प्रताप रुडी
13. श्री प्रताप सिम्हा
14. श्री परवेश साहिब सिंह
15. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
16. श्री श्याम सिंह यादव
17. श्री दिलीप शइकीया

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा - अपर सचिव
2. श्री मुरलीधरन. पी - निदेशक

2. सर्वप्रथम, संयोजक ने सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें समिति की कार्यसूची. इसके बाद समिति ने निम्नलिखित तीन मसौदा प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें अपनाया:

(i) Xxx xxx

(ii) Xxx xxx

(iii) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित 'खेलो इंडिया स्कीम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा'विषय पर प्राकलन समिति की 8वीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

3. कुछ सदस्यों ने 19वीं मसौदा प्रतिवेदन विषयक विभिन्न योजनाओं में दिशा समिति की भूमिका और प्रदर्शन की समीक्षा पर अपने सुझाव दिए। समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद मसौदा प्रतिवेदनों को अपनाया। तत्पश्चात् समिति ने अध्यक्ष को संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया।

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

परिशिष्ठ II

प्राक्कलन समिति (17वीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन मे निहित टिप्पणिओं/सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के विश्लेषण

(एक)	**टिप्पणियाँ / सिफ़ारिशें की कुल संख्या**	**18**
(दो)	**टिप्पणियां / सिफारिशें, जिन्हे सरकार ने स्वीकार कर लिया है (क.स. 1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17 और 18)**	**15**
	कुल सिफ़ारिशों का प्रतिशत	**83.33%**
(तीन)	**टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती**	**1**
	कुल सिफ़ारिशों का प्रतिशत	**5.55%**
(चार)	**टिप्पणियां / सिफारिशें, जिनके सम्बन्ध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं (क.स. 7 और 9)**	**2**
	कुल सिफ़ारिशों का प्रतिशत	**11.12%**
(पाँच)	**टिप्पणियां/सिफारिशें,जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं**	**शून्य**
	कुल सिफ़ारिशों का प्रतिशत	**शून्य**